संख्या-471/2018/133/22-2-2018-17(34)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रनवीर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/प्रोबे0-5-द0या0/बैठक-17-12-2017 दिनांक 05-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रनवीर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी ग्राम-ल्हौसरा, थाना-लोधा, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 08.06.1984 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्तौल से अन्धाधुन्ध फायर करके 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-277/1985 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 14.06.1991 द्वारा दोषमुक्त किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-1768/1991 योजित की गयी। उक्त अपील में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.01.1997 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 02 सहअभियुक्त की मृत्यु, 01 सहअभियुक्त की विपक्षीगण द्वारा हत्या कर दी गयी, 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.11.2017 तक 19 वर्ष 06 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 03 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व जिला स्तरीय बैठक दिनांक 16.05.2017 के अनुसार संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रनवीर सिंह (बन्दी संख्या-4363) पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-471/2018/133(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in